

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

गोपाल अक्की

बनाम दीनू अक्की को

मुकदमा नं. 53,188 व. 70 म. 10

हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------------------------------	---

21/6/22 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पन्नावली दिनांक 21/6/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर, करेड़ा

21/6/22 उपखण्ड उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अपकाय पदरिहत हैं पत्रावली दिनांक 21/6/22 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

21/6/22 उपखण्ड उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अपकाय पदरिहत हैं पत्रावली दिनांक 21/6/22 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

5/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी व स्वमवादी अक्षुप्त। वादी व उनके आयोगकर्ता को पिछले फर्द मरिजाआवाज लगाई गिन्तु कोई उपस्थित नहीं होने से वादी का वाड अम्स-हाजरी अम्स पैरवी में स्वीज किया जाता है। फायदा फैसल शमार लेकर उज नम्बर से फर हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

